



2026:AHC:41222-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3557/2026

मुहम्मत्गुली अन्नागुलीयेवयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (अधिवक्ता): दीपक काशीनाथ दुबे

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता (अधिवक्ता): जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता), राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(i) मेंडमस की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को निर्देश दे कि वे केस अपराध संख्या 0280 वर्ष 2025, धारा 318(4), 316(2) बी.एन.एस. 2023, थाना मडुवाडीह, जिला वाराणसी के तहत मुखबिर/याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विरुद्ध दिनांक 09.10.2025 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच संपन्न करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो इस माननीय न्यायालय को मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक लगे।

(iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में लागत के साथ रिट याचिका स्वीकार करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता प्रथम सूचना देने वाला है और उसने 09.10.2025 को विवादित एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, हालांकि, पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2- वरुणा (कमिश्नरेट, वाराणसी), जिला वाराणसी के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दे सकता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2- वरुणा (कमिश्नरेट, वाराणसी), जिला वाराणसी वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।
5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

नदीम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।